भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3207

दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति

†3207. सुश्री सयानी घोष:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संपूर्ण देश में मानसिक रोग से पीड़ित बुजुर्ग व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति से आज तक लाभान्वित हुए ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;
(ग) संपूर्ण देश में सार्वजनिक मनोरोग बिस्तरों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;
(घ) देश में प्रति एक लाख लोगों पर मनोचिकित्सकों की संख्या कितनी है; और
(ङ) क्या सरकार ने 2014 में शुरू की गई राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति के प्रभाव और दक्षता का आकलन करने के लिए इसकी कोई सामाजिक संपरीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ) वर्ष 2016 में किए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएमएचएस) के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों में मानसिक विकारों की व्याप्तता लगभग 15.1% है।

भारत सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है जिसके लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। डीएमएचपी के तहत वृद्धजनों सहित सभी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) स्तरों पर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, बाह्य रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक कार्यकलाप, गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों को सतत

परिचर्या और सहायता, औषधियां, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उपर्युक्त सेवाओं के अतिरिक्त, जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाले अंतरंग रोगी सुविधा का प्रावधान है।

सरकार राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम (एनपीएचसीई) भी कार्यान्वित कर रही है। एनपीएचसीई के प्रमुख कार्यकलापों में ओपीडी परिचर्या सेवाओं और 30 बिस्तरों वाले जराचिकित्सा वार्ड के साथ क्षेत्रीय जरावस्था केंद्रों (आरजीसी) में जरा-चिकित्सा विभाग की स्थापना, 10 बिस्तरों वाले जराचिकित्सा वार्ड सहित विशिष्ट जराचिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों में जराचिकित्सा इकाइयों की स्थापना, सप्ताह में दो बार सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जरा-चिकित्सा क्लीनिकों में पुनर्वास इकाई की स्थापना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक जरावस्था क्लीनिक की स्थापना और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलाप, बिस्तरों पर पड़े लोगों की घरेलू परिचर्या और उप-केन्द्र स्तर पर जरूरतमंद वृद्धजनों के लिए सहायक उपकरण शामिल हैं।

सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.73 लाख से अधिक उप-स्वास्थ्य केन्द्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) का आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नयन किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उपलब्ध कराई जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और वृद्धजनों के लिए सेवाओं को जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत के दायरे में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, तंत्रिका विज्ञान और मादक पदार्थ उपयोग संबंधी विकारों (एमएनएस) पर परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

देश भर में सार्वजनिक मनश्चिकित्सीय बिस्तरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या से संबंधित आंकडे़ केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। देश में 3 केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं सहित सरकार द्वारा संचालित 47 मानसिक अस्पताल हैं। तीन केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों अर्थात राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हान्स) बेंगलुरु, केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान (सीआईपी), रांची और लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (एलजीबीआरआईएमएच), तेजपुर में उपलब्ध मनश्चिकित्सीय बिस्तरों की संख्या क्रमशः 1096, 643 और 336 है। सभी एम्स में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का भी प्रावधान है। ये सेवाएं पीएमजेएवाई के तहत भी उपलब्ध हैं।

एनएमएचपी के विशिष्ट परिचर्या घटक के अंतर्गत, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर विभागों में छात्रों की दाखिला क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ विशिष्ट स्तर की उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केन्द्रों को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में 47 स्नातकोत्तर विभागों को सुदृढ़ करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कालेजों/संस्थाओं को भी सहायता प्रदान की है।

देश के 12 राज्यों में निम्हान्स, बेंगलुरू द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएमएचएस) 2016 के अनुसार, एनएमएचएस राज्यों में मनोचिकित्सकों की उपलब्धता मध्य प्रदेश में 0.05 प्रति लाख जनसंख्या से लेकर केरल में 1.2 प्रति लाख जनसंख्या तक भिन्न-भिन्न है।

उपर्युक्त के अलावा सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग और परिचर्या सेवाओं की पहुँच में और अधिक सुधार लाने के लिए दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 को राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। दिनांक 22/11/2024 की स्थिति के अनुसार 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 53 टेलीमानस प्रकोष्ठ स्थापित किए गए है और टेलीमानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई हैं। हेल्पलाइन नंबरों पर 15,95000 से अधिक कॉल का समाधान किया गया है।

सरकार ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस- दिनांक 10 अक्टूवर, 2024 को टेलीमानस मोबाइल एप भी शुरु किया है। टेलीमानस मोबाइल एप व्यापक मोबाइल प्लेटफार्म है जो आरोग्य से मानसिक विकार तक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं पर सहायता देने के लिए विकसित किया गया है।

*****